



<p>तारीख हुक्म 71 / 2021</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>3/6/22</p>	<p>पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांव के संग अभियाज्ञ फोलोअप केम्प के तहत केम्प कोर्ट महुआ खुर्द पर पेश हुई। प्रकरण को अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके पक्ष में प्रार्थीगण द्वारा ग्राम महुआ खुर्द प0ह0 महुआ खुर्द भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र महुआ खुर्द तहसील बनेड़ा जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 तक की संलग्न की गयी है। प्रकरण मूल रूप से पत्थरगढी/सीमांकन से संबंधित होने से किसी अन्य खातेदारान/पड़ौसियान के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते है न ही किसी प्रकार के हक अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी बाबत वर्णित तथ्यों से मेरा समाधान हो जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली करवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा </p>	<p style="text-align: right;">  </p>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी अंशुल सिंह आर0ए0एस0

नम्बर - 71 / 2021 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

- 1-2 गोपाल, जगदीश पिता मुला ब्राह्मण निवासी महुआ खुर्द तहसील बनेड़ा
- 3- रतन पत्नी मूला ब्राह्मण निवासी महुआ खुर्द तहसील बनेड़ा
- 4-5 लादु, सीता पिता मूला ब्राह्मण निवासी महुआ खुर्द तहसील बनेड़ा
- 6- सीताराम पिता मूला ब्राह्मण निवासी महुआ खुर्द तहसील बनेड़ा

—प्रार्थीगण

बनाम

- 1- नानु पिता गोपी रेगर निवासी महुआ खुर्द तहसील बनेड़ा
- 2- रामप्रसाद पिता लालुराम शर्मा निवासी महुआ खुर्द तहसील बनेड़ा
- 3- ब्रदी लाल पिता छीतर शर्मा निवासी महुआ खुर्द तहसील बनेड़ा
- 4- कन्हैयालाल पिता शिवनारायण शर्मा निवासी महुआ खुर्द तहसील बनेड़ा
- 5- सुनीता पत्नी रतन लाल शर्मा निवासी महुआ खुर्द तहसील बनेड़ा
- 6- जसोदा पत्नी हरिओम शर्मा निवासी महुआ खुर्द तहसील बनेड़ा
- 7- कमलेश पिता रामेश्वर शर्मा निवासी महुआ खुर्द तहसील बनेड़ा
- 8- नन्दलाल पिता शंकर लाल शर्मा निवासी महुआ खुर्द तहसील बनेड़ा
- 9- देवकरण पिता लालुराम शर्मा निवासी महुआ खुर्द तहसील बनेड़ा
- 10- परसराम पिता एकलिंग शर्मा निवासी महुआ खुर्द तहसील बनेड़ा
- 11- हीरालाल पिता मोहनलाल शर्मा निवासी महुआ खुर्द तहसील बनेड़ा
- 12- रामेश्वर पिता नन्दा बलाई निवासी महुआ खुर्द तहसील बनेड़ा
- 13- तुलसीराम पिता चतरभुज गाडरी निवासी महुआ खुर्द तहसील बनेड़ा
- 14- राधेश्याम पिता शिवनारायण शर्मा निवासी महुआ खुर्द तहसील बनेड़ा
- 15- देवकरण पिता लालु राम शर्मा निवासी महुआ खुर्द तहसील बनेड़ा
- 16- परमेश्वर पिता बख्तावर शर्मा निवासी महुआ खुर्द तहसील बनेड़ा
- 17- सुन्दर देवी पत्नी राधेश्याम शर्मा निवासी महुआ खुर्द तहसील बनेड़ा
- 18- गोपाल लाल पिता हीरा लाल शर्मा निवासी महुआ खुर्द तहसील बनेड़ा
- 19- रामेश्वर पिता बट्टीलाल शर्मा निवासी महुआ खुर्द तहसील बनेड़ा
- 20- परसराम पिता एकलिंग शर्मा निवासी महुआ खुर्द तहसील बनेड़ा
- 21- सत्यनारायण पिता भंवर लाल सोनी निवासी महुआ खुर्द तहसील बनेड़ा
- 22- रामनिवासी पिता मथुरा लाल शर्मा निवासी महुआ खुर्द तहसील बनेड़ा
- 23- सत्यनारायण पिता किशनलाल शर्मा निवासी महुआ खुर्द तहसील बनेड़ा
- 24- कन्हैय लाल पिता रामचन्द्र शर्मा निवासी महुआ खुर्द तहसील बनेड़ा
- 25- शिव लाल पिता रामप्रसाद शर्मा निवासी महुआ खुर्द तहसील बनेड़ा
- 26- एस0बी0आई0 शाखा बनेड़ा तहसील बनेड़ा
- 27- राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बनेड़ा

—विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक :- 03/06/2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम महुआ खुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 136, 150, 52, 58, 59, 760, 771, 778, 784, 791, 792, 799 कुल किता 12 रकबा 2.8200 है० के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 ग्राम महुआ खुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 136, 150, 52, 58, 59, 760, 771, 778, 784, 791, 792, 799 कुल किता 12 रकबा 2.8200 है० भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर संयुक्त खातेदारी है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम महुआ खुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 136, 150, 52, 58, 59, 760, 771, 778, 784, 791, 792, 799 कुल किता 12 रकबा 2.8200 है० भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू०अ०निरीक्षक महुआ खुर्द को 1200/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त ली जावे। लिखित सहमति पश्चात उनकी उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न जावें अन्यथा नहीं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं

155

ने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक महुआ खुर्द जो कि
करण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में
की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये
तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति
तक ही की जावे। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे।

नियम आज दिनांक 03/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर केम्प कोर्ट मुख्यालय
महुआ खुर्द पर सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :-

तहसीलदार बनेड़ा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान को
नोटिस तामिल करा उनकी मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर
पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा